—: टीप एवं आख्याएं :—

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय,

कृपया जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल" उपलब्ध कराने के क्रम में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा जनपद—बलरामपुर में पाइप पेयजल योजना के कार्यों की प्रगति एवं आई0एस0ए0 द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 18.07.2024 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की आयोजित बैठक की कार्यवृत्त का पत्रालेख पत्रावली में दायीं ओर रक्षित है।

कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

अधिशासी अभियन्ता,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
बलरामपुर।

पत्रावली प्राप्ति का दिनांक 26.7.24
पत्रावली वापसी का दिनांक 27.7.24

Sir,
CDO

CamScanner

जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत दिनांक 18.07.2024 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत जनपद–बलरामपुर में नामित एजेन्सी– मे. लारसेन एण्ड टूब्रो चेन्नई एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग इको प्रोटेक्शन(जे0वी0) द्वारा पाइप पेयजल योजना के कार्यों की प्रगति एवं आई0एस0ए0 द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार, बलरामपुर में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
4. सहायक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक मे0 लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
7. उप परियोजना प्रबन्धक, मे0 दारा इंजीनियरिंग, बलरामपुर।
8. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, बलरामपुर।
9. टीम लीडर, मे0 सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), देवीपाटन, गोण्डा।
10. समस्त संस्था प्रमुख, इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी(आई.एस.ए.), बलरामपुर।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा जनपद–बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी– मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे0वी0) द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यो की प्रगति, पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन गठन की प्रगति, त्रिस्तरीय अनुबन्ध गठन की प्रगति, कवर अनुबन्ध गठन की प्रगति एवं आई0एस0ए0 द्वारा फेज–2 (इम्प्लीमेन्टेशन फेज) में किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में पी0पी0टी0 के माध्यम से अवगत कराया गया।

जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, चेन्नई द्वारा आवंटित 294 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष समस्त राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान तक 199 नग योजनाओं (सम्मिलित 294 नग राजस्व ग्राम) की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति से प्राप्त हो चुकी है। फर्म द्वारा अब तक कुल स्वीकृत योजनाओं में से सभी 199 नग योजनाओं (सम्मिलित 294 नग राजस्व ग्राम) के त्रिपक्षीय अनुबन्ध के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे0वी0) द्वारा आवंटित 595 नग राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक सभी 430 नग योजनाओं (सम्मिलित 595 नग राजस्व ग्राम) के त्रिपक्षीय अनुबन्ध एवं कवर अनुबन्ध की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति से प्राप्त की जा चुकी है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद–बलरामपुर में कुल 1016 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष ओल्ड स्कीम में 39, रेट्रोफिटिंग में 28, न्यू रेट्रोफिटिंग में 08, जे0जे0एम0 फेज–1 में 02, एम0एस0डी0पी0 में 16, बी0ए0डी0पी0 में 11, नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 07 तथा गैर आबाद 16 राजस्व ग्राम भी सम्मिलित हैं। जनपद बलरामपुर के सभी राजस्व ग्रामों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित कर लिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि0 को आवंटित 199 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 47 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 152 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था द्वारा 199 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 199 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 157 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 42 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 199 नग योजनाओं के सापेक्ष 181 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 57 नग सोलर पैनल संचालित है। शेष 18 नग सोलर पैनल अधिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 2103 कि0मी0 के सापेक्ष 2087 कि0मी0 बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 16कि0मी0 पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। 109694

CamScanner

नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 82150 नग पेयजल कनेक्शन लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा 295 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 112 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत "हर घर जल" प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 75 नग राजस्व ग्राम को "हर घर जल" प्रमाणित किया गया है। फर्म 10 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि0 द्वारा ओ0एच0टी0 के प्री–कास्ट कम्पोनेन्ट की आपूर्ति योजनाओं पर सही ढंग से न होने के कारण ओ0एच0टी0 निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। पाइप लाइन बिछाने के दौरान उसमें गैपिंग की जा रही है जिससे कई ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति के दौरान जगह–जगह लीकेज की समस्या आ रही है। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था द्वारा पुलिया कासिंग का कार्य मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिससे पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी हुई है।

<u>निर्देश:</u>

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य कराया जाए। ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य के दौरान कार्यस्थल को उचित प्रकार से फेंसिंग कराया जाए जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य हेतु मैनपावर को बढ़ाते हुए पाइप पेयजल योजना का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो गया है, वहां जल जांच कराते हुए क्लोरीनेशन के उपरान्त लाभार्थियों को दिए गए गृह जल संयोजन को शत प्रतिशत क्रियाशील कराते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिन योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठान का कार्य पूर्ण हो गया है, वहां हर हाल में जलापूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त तोड़ी गयी सड़कों का पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य कराया गया है, उनका सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एवं टी.पी.आई. द्वारा कराया जाए। जिन योजनाओं में ओ0एच0टी0, पम्प हाउस, सोलर पैनल अधिष्ठान आदि कार्य पूर्ण हो गए हैं, वहां हर हाल में नियमित जलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं पर पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु सीसी रोड तोड़ने के लिए हथौड़ा/जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा रहा है, उसके स्थान पर डायमंड कटर मशीन का प्रयोग किया जाए जिससे पूरी सड़क क्षतिग्रस्त न हो।

कार्यवाही– परियोजना प्रबंधक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो/ अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण)।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे0वी0) द्वारा आवंटित 430 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 22 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। 364 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 का कार्य प्रगति पर है। 44 नग योजनाओं पर फर्म द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा 430 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 422 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 08 नग ट्यूबवेल का कार्य प्रगति पर है। 430 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 228 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 202 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 430 नग योजनाओं के सापेक्ष 166 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 56 नग सोलर पैनल संचालित है। शेष 208 नग सोलर पैनल अधिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 4558 कि0मी0 के सापेक्ष 4500 कि0मी0 बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 58 कि0मी0 पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। 177424 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 151684 नग पेयजल कनेक्शन लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा 595 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 80 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत "हर घर जल" प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 38 नग राजस्व ग्राम को "हर घर जल" प्रमाणित किया गया है। फर्म 85 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध नहीं है जिससे ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य की अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। पाइप लाइन बिछाने के दौरान उसमें गैपिंग की जा रही है जिससे कई ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति के दौरान जगह–जगह लीकेज की समस्या आ रही है। फर्म द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में लीकेज मरम्मत हेतु पर्याप्त मोबाइल टीम नहीं लगायी गयी है। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था द्वारा पुलिया कासिंग का कार्य मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिससे पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी हुई है।

CamScanner

निर्देशः

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे. दारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0 के उप परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य में प्रयोग की जा रही बांस/बल्ली के स्थान पर स्कैफोल्डिंग का प्रयोग कर सुरक्षा मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराया जाए। ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य के दौरान कार्यस्थल को उचित प्रकार से फेंसिंग कराया जाए जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य हेतु मैनपावर को बढ़ाते हुए पाइप पेयजल योजना का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। ओ0एच0टी0 के फाउंडेशन एवं रापट की जांच कास्टिंग के दौरान की जाए जिससे गुणवत्ता प्रभावित न हो। जिन योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो गया है, वहां जल जांच कराते हुए क्लोरीनेशन के उपरान्त लाभार्थियों को दिए गए गृह जल संयोजन को शत प्रतिशत कियाशील कराते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिन योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठान का कार्य पूर्ण हो गया है वहां हर हाल में जलापूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त तोड़ी गयी सड़कों का पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य कराया गया है, उनका सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एवं टी.पी.आई. द्वारा कराया जाए। जिन योजनाओं पर जलकल परिसर में मिट्टी का भराव किया जाना है, कार्यदायी संस्था खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करे। जो योजनाओं में ओ0एच0टी0, पम्प हाउस, सोलर पैनल अधिष्ठान आदि कार्य पूर्ण हो गए हैं, वहां हर हाल में नियमित जलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं पर पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु सीसी रोड तोड़ने के लिए हथौड़ा/जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा रहा है, उसके स्थान पर डायमंड कटर मशीन का प्रयोग किया जाए जिससे पूरी सड़क क्षतिग्रस्त न हो।

कार्यवाही– उप परियोजना प्रबंधक, मेसर्स मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण)।

निर्देशः

डी0पी0एम0यू0 के जिला समन्वयक को निर्देशित किया गया कि जिन पाइप पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है, वहां आई0एस0ए0 द्वारा जन जागरूकता कार्यकम संचालित कर जल शुल्क भुगतान के लिए प्रेरित किया जाए।

कार्यवाही– जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संदीप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

CamScanner

प्रभागीय वन अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला पंचायत राज अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

मुख्य विकास अधिकारी,
(उपाध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बलरामपुर।

पत्रांक : 1277 /210-1 /427 दिनांक– 27/07/2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग जे0वी0 इको प्रोटेक्शन, बलरामपुर।
8. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0(टी0पी0आई0), बलरामपुर।
9. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता

CamScanner